

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 627]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2021 — अग्रहायण 26, शक 1943

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 नवम्बर 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 9-27/2008/29-1(3).— आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 सहपठित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के खण्ड 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त आदेश में,—

खण्ड 5 के उप-खण्ड (28) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

“(29) सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों से हितग्राही/कल्याणकारी संस्थाओं को प्रदाय राशन सामग्री, अहस्तांतरणीय हागी तथा इसका विक्रय, संबंधित राशनकार्ड धारकों/संस्थाओं केद्वारा अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं को नहीं किया जायेगा।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 30 नवम्बर 2021

क्रमांक एफ 9-27/2008/29-1(3).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-11-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 30th November 2021

NOTIFICATION

No.F 9-27/2008/29-1(3).— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) read with clause 21 of Chhattisgarh Public Distribution System (Control) Order, 2016, the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Public Distribution System (Control) Order, 2016, namely :-

AMENDMENT

In the said order, -

After sub-clause (28) of clause 5, the following shall be added, namely:-

- "(29) Commodities supplied to beneficiary/welfare institution, under Public Distribution System and other Welfare Schemes, from fair price shops shall be non-transferable and shall not be sold by the concerned ration card holders/institutions to other persons/institutions."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.